

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह
सचिव (व्यय)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय - वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-01.11.2018 तक भेजने के संबंध में ।

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है ।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है। अतएव, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में सिर्फ वैसी राशि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव भेजा जाय, जहाँ विभाग द्वारा किसी विस्तृत एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रुपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव देना होगा एवं शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा ।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है तो इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर व निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा ।

3. राज्य स्कीम के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग द्वारा यदि अतिरिक्त स्कीम उद्भव्य किसी विभाग को उपलब्ध कराया गया हो तो उसके लिए प्रस्ताव प्रशासी विभाग द्वारा भेजा जा सकता है । ऐसे प्रस्ताव के साथ उद्भव्य निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रखी जाय । राज्य स्कीम अन्तर्गत कर्णांकित परियोजनाओं को छोड़कर अगर अन्य किसी परियोजना में बचत संभावित है, तो उक्त राशि का प्रत्यर्पण करते हुए अन्यत्र राशि के उपबंध का प्रस्ताव दिया जा सकता है ।

राज्य स्कीम अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है, तो इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर व निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा ।

4. यदि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए । यदि पूर्व वित्तीय वर्षों में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी, तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी ।

अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को दिनांक-01.11.2018 तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

८०/-


(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 745

दिनांक... 9.10.18

प्रतिलिपि- सचिव, विहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

उप सचिव-सह-उप बजट नियंत्रक

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 745

दिनांक... 9.10.18

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय एवं मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

उप सचिव-सह-उप बजट नियंत्रक

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 745

दिनांक... 9.10.18

प्रतिलिपि- सचिव, लोक सेवा आयोग, विहार/अध्यक्ष, विहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

उप सचिव-सह-उप बजट नियंत्रक

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 745

दिनांक... 9.10.18

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/संयुक्त आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय/संयुक्त सचिव, प्रेस एवं स्टेशनरी/उप सचिव, पेंशन/ अपर सचिव, लेखा/अपर सचिव, स्थापना, वित्त विभाग/अपर सचिव, कोषागार शाखा/निदेशक, सांस्थिक वित्त, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

उप सचिव-सह-उप बजट नियंत्रक

ज्ञापांक:-ब17/बी.एस.जी.-157/2013/- 745

दिनांक... 9.10.18

प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक बजट प्रणाली विश्लेषक/आईटी0 मैनेजर, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(संजीव मित्तल)

उप सचिव-सह-उप बजट नियंत्रक